

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

संशोधन आदेश

विभाग द्वारा जारी प्रधानाचार्य-उमावि पद के राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त (अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर) संबंधी आदेश में, निम्नानुसार कॉलम संख्या-6 में उल्लिखितानुसार आंशिक संशोधन एतद् द्वारा किया जाता है:-

क्र.सं	विभाग का पूर्व में जारी आदेश क्रमांक व दिनांक	नाम अधिकारी मय धारित पद व पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक (DD/MM/YY)	सेवानिवृत्ति दिनांक (DD/MM/YY)	अपेक्षित आंशिक संशोधन
1	2	3	4	5	6
1	शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1/45001/सेवानिवृत्तियां/प्रधानाध्यापक/समेकित/21-22/ दिनांक 21 जनवरी 2021	बस्तीमल छीपा प्रधानाध्यापक रामावि बलवना, सुमेरपुर, पाली।	01-07-61	30-06-21	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 21.01.2021 में क्रमांक 32 पर अंकित कार्मिक का नाम बस्तीमल छीपा(BASTI MAL CHIMPA) के स्थान पर बस्तीमल छीपा(BASTI MAL CHHIPA) पढ़ा जावे।
2	शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1/45001/सेवानिवृत्तियां/प्रधानाध्यापक/समेकित/21-22/ दिनांक 25.02.2021	धर्मपाल सिंह धांधू उप जिला शिक्षा अधिकारी(शा.शि.) संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु।	22-02-62	28-02-22	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 25.02.2021 में क्रमांक 5 पर अंकित कार्मिक का नाम धर्मपाल सिंह (DHARMPAL SINGH) के स्थान पर धर्मपाल सिंह धांधू(DHARMPAL SINGH DHANDHU) पढ़ा जावे।
3	शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/सेवानिवृत्तियां/प्रधानाचार्य/2021-22/70-91 दिनांक 21 जनवरी 2021	भोमपाल प्रधानाचार्य राउमावि नगरफोर्ट, टोंक	10-04-61	30-04-21	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 21.01.2021 में क्रमांक 07 पर अंकित कार्मिक का नाम भोमपाल मीणा के स्थान पर भोमपाल पढ़ा जावे।
4	शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/सेवानिवृत्तियां/प्रधानाचार्य/2021-22/138 दिनांक 15 मार्च 2021	रामनिवास शर्मा अति.जि.शि.अ. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, दौसा	05-07-61	31-07-21	कार्मिक के संबंध में जारी सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 15 मार्च 2021 में कार्मिक का नाम रामनिवास के स्थान पर रामनिवास शर्मा पढ़ा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

(श्याम सुन्दर सोलंकी)

संयुक्त निदेशक-कार्मिक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1,2/प्रधाना.प्र.अ./से0नि0संशोधन/21-22/110 दिनांक 16.03.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संबंधित अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित संस्था प्रधान /कार्मिक।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक-कार्मिक